उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अध्यावधि यथा संशोधित) की धारा 6 (5) में निम्नलिखित प्रावधान है :–

''6 (5) जब कभी एक या अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्समय कमी और / राजस्व के संवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।''

उक्त व्यवस्था के परिदृश्य में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट अनुमानों में रु0 25.48 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा रु0 6072.97 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

माह नवम्बर, 2016 के प्रथम अनुपूरक का आकार रु0 1507.87 करोड़ है जिसमें रु0 844.37 करोड़ के व्यय का अनुमान राजस्व पक्ष में तथा रु0 663.50 करोड़ के अनुमान पूँजीगत पक्ष में है। इस प्रकार कुल रु0 1507.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति निम्नवत होना सम्भावित है :–

वेतन की मद में आय–व्ययक में रु0 11755.62 करोड़ का अनुमान था जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर, 2016 तक लगभग रु0 6100 करोड़ व्यय हो चुका है, जो कि बजट अनुमान का 52.69 प्रतिशत है। पेंशन की मद में आय–व्ययक अनुमान रु0 3528.73 करोड़ के सापेक्ष महा अक्टूबर तक लगभग रू0 2056 करोड़ का व्यय हो चुका है जो बजट अनुमान का लगभग रू0 58.26 प्रतिशत है। इस प्रकार वेतन तथा पेंशन की मद में पर्याप्त बचतें परिलक्षित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत व अन्य मदों में भी व्यय की उक्त प्रवृत्ति के दृष्टिगत पर्याप्त बचतें परिलक्षित हो रही हैं।

अनुपूरक मॉगों में लगभग रू0 430 करोड़ संसाधन सम्बद्ध योजनाओं तथा केन्द्र सहायतित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग रू0 268 करोड़ की राज्य आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

उक्त के दृष्टिगत अनुपूरक मांग के कारण बढ़े हुए व्यय को वर्ष में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियों, आयोजनागत व आयोजनेत्तर व्यय में सम्भावित बचतों तथा स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि /अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कर पूरा किया जायेगा।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
वित्त मंत्री

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण